

पु.सं. 29/17 रा. नं. 3

29/5/18

क्र. सं.

न्यायालय उपलंडे अंचलिकी
पदेन सहायक क्लर्क
कोडा (पीतवाड़ा)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

22/4/18 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण
में TDR करेण से विभाजन की
कोज नहीं। पुनः लिखा जाने
पत्रावली दिनांक 23/4/18 को पेश
होने विभाजन की TDR करेण
हो-रे। हो।

ना

उपलंडे अंचलिकी पदेन
सहायक क्लर्क कोडा

23/4/18 पत्रावली करेण हुई।
उत्तरपक्ष उपरीक्षण / उपरीक्षण में
विभाजन उत्तरपक्ष TDR करेण
से कोज नहीं। पुनः लिखा
जाने / पत्रावली दिनांक 20/6/18
को पेश हो।


ना

उपलंडे अंचलिकी पदेन
सहायक क्लर्क कोडा

20-6-18

पत्रावली मुतामक गुंवाला (न) पर रजिस्ट्रार
लोक अंशालत शी. विर में उल्लेखत है।
प्रकरण का मोरिट के आधार पर अंशालत
किगा गया। मोरिट पर पेशेदार सरकार
जो से केचित्त हलका पदवारी उपरिखल
नया मोरिट पर ही निरधार हलका तथा
से केचित्त पदवारी हारा एक लिखित
उत्प्रेक्ष उल्लेख किगा गया। कि
वाधुस्त अंशालती सेरगा 11)

P.T.O

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी परदेन सहायक कलकत्ता या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज करेड़ा (भीलकड़ा)
	<p> अलेख 2069-72 में, वाकी सुरेशचन्द्र पिता देवीमाल शालकी नि० मिथा जालारु का खेड़ा की अग्रणी एक हिस्से में कुछ भूमि अलग-अलग की देवा राम का क्रेय की गई है देवी स्वपति वाद पत्र में वाकीन संदर्भ में कोई माधवाही शेष नहीं रह जाती है। </p> <p> अलेख वाकी द्वारा उल्लेखित वाद पत्र निरस्त उतिवाहीगण काई अडुलाष देने नहीं होने के वाद पत्र वाकी खाति किया जाता है। पालनाप तदधीनार करेड़ा की लिखा जाकि। तदुसार डिडी मुक्ति है। </p> <p> पालनी फरिस्तर के फरमी जाकर फेराल सुभार हो। </p> <p> निम्न शरहे जालारु सुनाया गया। </p> <div style="text-align: right;">  उपखंड अधिकारी, परदेन सहायक कलकत्ता करेड़ा </div>

